झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

:: <u>संकल्प</u> ::

चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री सुनील कुमार, नं0–2, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक–728/03, गृह जिला–राँची), के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, राजनगर की कार्यावधि में मनरेगा कार्य में योजनाओं के कार्यान्वयन प्राक्कलन के अनुसार नहीं किये जाने, उचित अनुश्रवण नहीं करना, बिना कार्य संपादन के अग्रिम दिये जाने से अनभिज्ञ रहना तथा गुणवत्ता नहीं देखने संबंधी आरोप, जैसा कि उपायुक्त, सरायकेला–खरसावाँ के पत्रांक–185/जि0ग्रा0, दिनांक 25.01.2012 द्वारा प्राप्त प्रपत्र–'क' में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है।

2. अतः श्री कुमार के विरूद्ध प्रपत्र– 'क' में गठित आरोपों की जाँच हेतु असैनिक सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम–55 के तहत् विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

3. तदनुसार एतद् द्वारा श्री कुमार को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ।

4. श्री कुमार द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल, श्री अशोक कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त करते हैं।

5. श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री संतोष कुमार प्रजापति, झा0प्र0से0, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, राजनगर को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है।

6. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय एवं इसकी प्रति (आरोप पत्र एवं साक्ष्य कागजात सहित) श्री सुनील कुमार, नं0–2, झा0प्र0से0 एवं श्री अशोक कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जांच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(दिलीप तिर्की)
सरकार के उप सचिव।

कृ0पृ0उ0..

ज्ञापांक–5/आरोप–1–672/2014 का0–......9200......./राँची, दिनांक 19..... अक्टूबर, 2015

प्रतिलिपि–1 नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को राजकीय, गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

19/10/15

सरकार के उप सचिव।